

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन शाखा)
-:अधिघोषणा :-

संख्या... भू-अर्जन दिनांक

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मौजा मुरादपुर थाना नं० 291 थाना कोढ़ा जिला कटिहार के अन्तर्गत मेहर टोला से मुख्य सड़क तक सम्पर्क सड़क निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा यह अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम मुरादपुर थाना नं० 291 के भीतर एक भू-खण्ड अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश 1.80 3/4 एकड़ (एक एकड़ पौने एकासी डिसमल) के बराबर होता है, और जिसका खेसरा संख्या 9161,9166,9168,9173,9177,9187,9196,9206,9207,9208,9224,9223,9222,9240,9218,9241, 9246,9247,9249,9250,9214,9213,9248,9254,9255,9260,9261,9262,9273,9271,9269,9268,9267,9286,9285, 9311,9313,9328,9275,9281,9282,9283 और 9284 का अंश है। तथा जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

खण्ड "क"

उत्तर :- मौजा मुरादपुर थाना नं० 291 का सर्वे खेसरा नं० 9160 पूर्ण।
दक्षिण :- मौजा मुरादपुर थाना नं० 291 का सर्वे खेसरा नं० 9137 बिहार सरकार सड़क।
पूरब :- मौजा मुरादपुर थाना नं० 291 का सर्वे खेसरा नं० 9159 पूर्ण।
पश्चिम :- मौजा मुरादपुर थाना नं० 291 का सर्वे खेसरा नं० 9161 पूर्ण।

खण्ड "ख"

उत्तर :- मौजा मुरादपुर थाना नं० 291 का सर्वे खेसरा नं० 9268,9269,9271,9273,9262,9261,9258, 9256,9253,9251,9249,9245,9242,9218,9221,9210,9209,9205,9299,9197,9186,9177,9175, 9174,9166
दक्षिण :- मौजा मुरादपुर थाना नं० 291 का सर्वे खेसरा नं० 9168,9173,9187,9196,9206,9207,9208, 9224,9223,9222,9240,9241,9246,9247,9248,9254,9255,9260,9261,9262,9274,9271,9269, 9268
पूरब :- मौजा मुरादपुर थाना नं० 291 का सर्वे खेसरा नं० 9137 बिहार सरकार सड़क।
पश्चिम :- मौजा मुरादपुर थाना नं० 291 का सर्वे खेसरा नं० 9267

खण्ड "ग"

उत्तर :- मौजा मुरादपुर थाना नं० 291 का सर्वे खेसरा नं० 9218
दक्षिण :- मौजा मुरादपुर थाना नं० 291 का सर्वे खेसरा नं० 9240 का प्रस्तावित सम्पर्क सड़क।
पूरब :- मौजा मुरादपुर थाना नं० 291 का सर्वे खेसरा नं० 9219,9220,9221
पश्चिम :- मौजा मुरादपुर थाना नं० 291 का सर्वे खेसरा नं० 9218

खण्ड "घ"

उत्तर :- मौजा मुरादपुर थाना नं० 291 का सर्वे खेसरा नं० 9249,9214 एवं 9213 का अंश।
दक्षिण :- मौजा मुरादपुर थाना नं० 291 का सर्वे खेसरा नं० 9249,9250 एवं 9213 का अंश।
पूरब :- मौजा मुरादपुर थाना नं० 291 का सर्वे खेसरा नं० 9247
पश्चिम :- मौजा मुरादपुर थाना नं० 291 एवं मतगौनी पछई जिला भागलपुर का संयुक्त सीमा रेखा।

खण्ड "च"

उत्तर :- मौजा मुरादपुर थाना नं० 291 का सर्वे खेसरा नं० 9287,9265,9267 पूर्ण
दक्षिण :- मौजा मुरादपुर थाना नं० 291 का सर्वे खेसरा नं० 9286 पूर्ण।
पूरब :- मौजा मुरादपुर थाना नं० 291 का सर्वे खेसरा नं० 9268 पूर्ण।
पश्चिम :- मौजा मुरादपुर थाना नं० 291 का सर्वे खेसरा नं० 9288 पूर्ण।

खण्ड "छ"

उत्तर :- मौजा मुरादपुर थाना नं० 291 का सर्वे खेसरा नं० 9267,9268
दक्षिण :- मौजा मुरादपुर थाना नं० 291 का सर्वे खेसरा नं० 9345 बिहार सरकार सड़क।
पूरब :- मौजा मुरादपुर थाना नं० 291 का सर्वे खेसरा नं० 9284,9281,9312,9313,9328
पश्चिम :- मौजा मुरादपुर थाना नं० 291 का सर्वे खेसरा नं० 9328,9313,9311,9385,9285,9286 का पूर्ण एवं 9267 का अंश।

खण्ड "ज"

उत्तर :-	मौजा मुरादपुर थाना नं० 291 का सर्वे खेसरा नं० 9283,9282,9275
दक्षिण :-	मौजा मुरादपुर थाना नं० 291 का सर्वे खेसरा नं० 9281
पूरब :-	मौजा मुरादपुर थाना नं० 291 का सर्वे खेसरा नं० 9275
पश्चिम :-	मौजा मुरादपुर थाना नं० 291 का सर्वे खेसरा नं० 9285

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों का केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपभोग में लाना आवश्यक हो तो ले लिये जायेंगे।

यह घोषणा अधिघोषणा 1-1984 की धारा 6 और अधिनियम 18-1885 की धारा 3 खण्ड (1)के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्सा भू-अर्जन पदाधिकारी, कटिहार के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश सं

50

सरकार के अवर सचिव

15/11/11

कटिहार

15/11/11

कटिहार

15/11/11

कटिहार

15/11/11

कटिहार

ज्ञाप सं० - 14/डी०एल०ए० कटिहार (संपर्क सड़क) मुरादपुर-39/2011 - 2975/रा० - पटना, दिनांक-18-12-13

- प्रतिलिपि 1. तीन प्रतियां सी० डी० के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, कटिहार को भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, कटिहार को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 5 प्रतियां जिला भू-अर्जन कार्यालय को भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. समाहर्ता/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव